न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 25/2022

अपीलांट

1. छगनलाल पुत्र नैनाराम
2. राजाराम पुत्र नैनाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र नैनाराम
4. पुखराज पुत्र नैनाराम
5. श्रीमती भटीबाई पत्नी नैनाराम
6. श्रीमती मीना पुत्री नैनाराम
7. श्रीमती मंजू पुत्री नैनाराम
8. श्रीमती रतन उर्फ लता पुत्री नैनाराम जाति सरगरा, निवासी तखतगढ तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. अचला पुत्र वेनाजी
2. चेतनाराम पुत्र वेनाजी
3. ललितकुमार पुत्र वेनाजी
4. परेश पुत्र किशोर कुमार
5. मीरा पत्नी किशोर कुमार
6. राहुल पुत्र किशोर कुमार
7. संजय पुत्र किशोर कुमार
8. मोनिका पुत्री किशोर कुमार
9. शंकरलाल पुत्र मेघाजी
10. अरूणा पुत्री मगराज
11. कमलेश पुत्र मगराज
12. गंगा पुत्री मगराज
13. चंदा पुत्री मगराज
14. जितेन्द्र पुत्र मगराज
15. पंकू पत्नी मगराज
16. प्रवीणा पुत्री मगराज
17. मंजू पुत्री मगराज
18. मनोहर पुत्र मगराज
19. राकेश पुत्र मगराज

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

20. विमला पुत्री मगराज
21. श्रवण पुत्र मगराज
22. संजय पुत्र मगराज
23. सागी पत्नी मगराज
24. हिम्मतमल पुत्र मगराज

    जातियान सरगरा, निवासी तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर जिला पाली

25. भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री अशोक कूमार माली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री खुमाराम परिहार विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 08 की ओर से

श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 09 से 24 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 18/11/2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 12/2008 बउनवान अचलाराम बनाम नैनीया में पारित आदेश दिनांक 10.06.2011 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। विधि अनुसार जहां हक हकूकों का प्रश्न अवधारित हो, वहां पर म्याद के तकनीकि बिन्दु को गौण रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत माना गया है। इस अनुसार वकील अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं बहस के

दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट अचलाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा तखतगढ में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 813 व 815 रकबा 8.2600 हैक्टर में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने हेतु पेश किया। जिस पर वाद दर्ज रजिस्टर कर अपीलाण्ट्स को जरिये समन के तलब किया गया, जिस पर अपीलाण्ट्स के पिता नैनाराम ने जवाब पेश कर अपीलाण्ट के कथनो को अस्वीकार किया गया, क्योंकि अपीलाण्ट्स के पिता नैनाराम द्वारा रेस्पोडेण्ट्स के खिलाफ एक अन्य दावा किया गया था, उक्त दोनो दावों के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कन्सॉलिडेट् कर निस्तारित किया गया। अपीलाण्ट के पिता नैनाराम की मृत्यु 11.05.2015 को हो चुकी है। नैनाराम की मृत्यु कार्यवाहियां विचाराधीन रहते हो गई थी, तत्पश्चात् से वादीगण ही नैनाराम के स्थान पर विवादित आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। अपीलाण्ट्स के पिता नैनाराम, जैरूपा के गोदपुत्र है। जैरूपा तथा मेघाजी सगे जाइन्दा भाई थे। जैरूपा जी के पुत्र नहीं होने से अपीलाण्ट के पिता नैनाराम को 13 वर्ष की उम्र में ही जैरूपा जी ने गोद ले लिया था, अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन दोनो प्रकरणों में अभिवचनो को विवेचित कर तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर आदेश पारित करना था, जो नहीं किया गया है। उक्त आदेश प्रभावी होने से अपीलाण्ट के नाम उनकी पिता की मृत्यु पर आज रोज तक अभिलेख में दर्ज नहीं हुए है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 09 से 24 ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला साबित था, न ही सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु साबित था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तीनो बिन्दुओ पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बिना फाईन्डिग दिये जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट अचलाराम वगै. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा तखतगढ में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 813 व 815 रकबा 8.2600 हैक्टर में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने हेतु पेश किया। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। उपरोक्त विवादित आराजी पूराजी के स्वर्गवास होने के पश्चात उनके दोनो पुत्रो जैरूपा व मेघा जी धारित हुई, जैरूपा लाऔलाद फोत हो चुका था एवं मेघा का भी स्वर्गवास हो चुका था। मेघा जी के स्वर्गवास होने के पश्चात उपरोक्त विवादित आराजी मेघाजी के चारो पुत्रो पर 1/4–1/4 हिस्सा बराबर धारित हुई। वेनाजी के स्वर्गवास के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट/वादीगण के कब्जे काश्त में गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। राजस्व रेकर्ड के जानकारी के पश्चात वादीगण द्वारा घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया। वाद का प्रतिवादी संख्या 1 नेनीया द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने के पश्चात एक वाद वादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 व 188 के तहत प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 318/2008 बउनवान नेनीया बनाम शंकरलाल व अन्य से दर्ज किया गया। दोनो वादो में समान पक्षकार व विवादित भूमि होने से दोनो पक्षो की सहमति से वाद के निर्णय तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद विचाराधीन रहते हुए अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 के कब्जे काश्त में दखलदांजी करते है अथवा उक्त आराजी को किसी अन्य को बेचान करते है, तो इससे वाद बाहुल्यता बढेगी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट अचलाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

धारा 88, 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा तखतगढ में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 813 व 815 रकबा 8.2600 हैक्टर में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने हेतु पेश किया। साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में रेस्पोडेण्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अपीलाण्ट को वादग्रस्त आराजी का बैचान, हस्तान्तरण नहीं करने एवं कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करने हेतु पाबंद करने का अनुतोष चाहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सहमति के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया।

धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के आज्ञापक प्रावधानों यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन प्रकरण का परीक्षण करने हेतु हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

<u>प्रथम दृष्टया मामलाः–</u> अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समय जो वाद पेश किया गया है, उसमें वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी बताकर रेस्पोडेण्ट के पिता का 1/4 हिस्सा निहित बताते हुए 1/4 हिस्से की घोषणा करने का अनुतोष चाहा गया। रेस्पोडेन्ट अचला वगैरा ने उक्त वादग्रस्त आराजीयात के संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, जो आदिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जिसका निर्धारण मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही सम्भव होगा, किन्तु यदि अपीलाण्ट राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने के कारण दौराने वाद वादस्थ भूमि का बेचान हस्तान्तरण करते है, तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेण्ट के पक्ष में प्रतीत होता है

सुविधा का संतुलनः– वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेण्ट के हक अधिकारों की घोषणा का वाद विचाराधीन है, वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेण्ट के पूर्वजो की प्रतीत होती है, वादग्रस्त आराजी को वाद के अंतिम निस्तारण तक संरक्षित रखा जाना न्यायालय कर्तव्य है, अतः सुविधा का संतुलन रेस्पोडेण्ट के पक्ष में प्रतीत होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपूर्णनीय क्षतिः– पुश्तैनी होने के आधार पर अपीलाण्ट का उक्त आराजी में हक हिस्सा निहित है अथवा नहीं? इन तथ्यों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल वाद में तनकीयात विनिश्चत होने पर ही संभव होगा। किन्तु दौराने वाद राजस्व रेकॉर्ड में अपीलाण्ट का नाम दर्ज होने से उक्त वादस्थ भूमि का बेचान, हस्तान्तरण या वादग्रस्त भूमि का रूपान्तरण होता है तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता बढ़ने की आंशका है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु रेस्पोडेण्ट के पक्ष में प्रतीत होता है।

जहां हकों के निर्धारण का प्रश्न निहित हो, उस स्तर पर भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखना ही न्यायोचित निर्णय होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो की सहमति पर वाद के निर्णय तक रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिये है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 12/2008 बउनवान अचलाराम बनाम नेनीया में पारित आदेश दिनांक 10.06.2011 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली